न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन नम्बर :– 88/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/204

अनवान

1. श्यामलाल पिता भगवतीलाल ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोपाललाल पिता भगवतीलाल ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पारसी पुत्री भगवतीलाल ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वरलाल पिता नाथुलाल ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शंकरलाल पिता गोकल ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भोजा पिता देवा सुथार निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. उदयराम पिता मोहनलाल ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. कैलाश पिता शिवशंकर ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. कैलाशी पुत्री बंशीलाल ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. कन्हैयालाल पिता शिवशंकर ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. कमला पुत्री काशीराम ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. कोयली पुत्री मोहनलाल ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. गीता पुत्री मोहनलाल ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. चान्दी पुत्री काशीराम ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. नानुदेवी पुत्री काशीराम ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. प्रेम पुत्री बंशीलाल ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. प्रेम पुत्री काशीराम ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. प्रियंका पुत्री नानुराम ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. पुष्पा पुत्री बालुराम शर्मा ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. पारस पिता बालुराम ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. पारसी पुत्री मोहनलाल ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. बाबुदेवी पुत्री नानुराम ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20. भंवरलाल पिता रामचन्द्र ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21. मुकेश पिता बालुराम ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22. मदनलाल पिता रामचन्द्र ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23. ममता पुत्री बालुराम ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
24. माया पुत्री शिवशंकर ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
25. मायादेवी पत्नि शिवराज ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
26. मिठुदेवी पत्नि बालुराम ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
27. मीना पुत्री नानुराम ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
28. रतन पिता नानुराम ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
29. राधेश्याम पिता बंशीलाल ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
30. राधादेवी पत्नि शिवशंकर ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
31. रामुदेवी पत्नि बंशीलाल ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
32. राहुल पिता शिवराज शर्मा ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
33. रीना पुत्री शिवराज ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
34. रोशनलाल पिता रामचन्द्र ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
35. लादुलाल पिता काशीराम ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

36. संजु पुत्री शिवशंकर ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
37. सीता पुत्री नेनुराम ब्राहम्ण निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत्)

उपस्थित

1. अमरसिंह चारण – प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. फारूख मोहम्मद मंसूरी – विपक्षी संख्या 1 अधिवक्ता
3. विपक्षी संख्या 2 लगायत 37 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः–25.11.2024

1. संक्षिप्त मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के की खेत आराजी संख्या 4780/864 रकबा 1.57 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 50 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 15.01.2023 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।
2. प्रार्थीगण के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये समन तलब किया गया। अधिवक्ता श्री फारूख मोहम्मद मंसुरी द्वारा विपक्षी संख्या 1 की तरफ से वकालातनाम पेश किया तथा इनके द्वारा द्वारा पर्याप्त समय एवं आवसर पर जवाब पेश नही किये जाने से जवाब बन्द किया गया। विपक्षी संख्या 2 लगायत 37 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. प्रकरण में उपभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के की खेत आराजी संख्या 4780/864 रकबा 1. 57 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 50 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन स्वीकार किया जाए। विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के शामलाती खाता है जिसको अलग कराये बिना पत्थरगढ़ी कराया जाना संभव नही है।
4. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्वावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के की खेत आराजी संख्या 4780/864 रकबा 1.

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

57 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 50 पर प्रार्थीगणो के साथ–साथ विप्रार्थीगण के नाम भी दर्ज रेकार्ड है, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है।

5. हस्तगत प्रकरण में संलग्न जमाबन्दी अनुसार प्रश्नगत आराजी में कुल 39 खातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण के रूप में मात्र तीन खातेदार अंकित है एवं अन्य शेष खातेदारो को विपक्षीगण के रूप में संयोजित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र के अंकित पदो में अंकित तथ्य असत्य एव सारहीन साबित होते है। इसके अतिरिक्त मिसल पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत उपलब्ध नही है, जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमाओं में कोई विवाद हो।

6. हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है, जिसके अनुसार :–

धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबुत उपलब्ध नही है, जिससे साबित होता हो कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि की सीमाओं को लेकर कोई विवाद हों।

अतः प्रार्थीगण द्वारा आंदिनांक तहसीलदार के समक्ष भी सीमाज्ञान बाबत् कोई आवेदन पेश नही किया गया है, प्रारम्भिक तौर पर प्रार्थीगण को सीमाज्ञान की कार्यवाही हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था।

7. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारों के कुसयोजन तथा प्रार्थना पत्र में निराधार तथ्यों के समावेश के कारण साबित नही होने के कारण अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सारहीन होने के कारण खारीज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिला दप्तर हों।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 25.11.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा
(एस.डी.ओ.)रायपुर